न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपीलः 20 / 2024
दायर दिनांकः 28.05.2024
निर्णय दिनांक 06.03.2026

—: अनवान :—

श्रीमती मोहनी बाई पत्नी रामा जी जाति कुमावत उम्र 73 (तिहतर) वर्ष निवासी चतरपुरा, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

— अपीलांट

—: बनाम :—

1. श्री मुबारिक पुत्र अली मोहम्मद जी जाति पिंजारा (पिनारा) मुसलमान उम्र वयस्क निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्री मीरू खां पुत्र अली मोहम्मद जी जाति पिंजारा (पिनारा) मुसलमान उम्र वयस्क निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध विरासत नामान्तरकरण संख्या 283 स्वीकृत दिनांक 30.01.1983 फैसल द्वारा तहसीलदार आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री डूंगर सिंह कर्णावट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 03

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 283 दिनांक 30.01.1983 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पति श्री रामा पिता गणेश जी जाति कुमावत निवासी चतरपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद के खातेदारी में कस्बा आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड भूमि खातेदारी में दर्ज थी। जिन्होने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड मे से रकबा 0.1100 हैक्टयर भूमि श्री अली मोहम्मद पिता कजोड जी जाति मन्सुरी मुसलमान निवासी आमेट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1981 से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विक्रय की एवं उक्त विक्रय शुदा आराजी मे से 0.1100 हैक्टयर भूमि का कब्जा श्री अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान को सिपूर्द कर दिया। उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 283 भरा, जिसे तहसीलदार आमेट द्वारा बाद जांच स्वीकार कर लिया, लेकिन अपीलान्ट के पति रामा जी पिता गणेश जी जाति कुमावत ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 01.05.1981 को कराया व केवल आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड मे से 0.1100 हैक्टर जमीन का ही कराया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पिता अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान ने भी 0.1100 हैक्टयर जमीन ही खरीदी, लेकिन नामान्तरकरण जो खोला गया। वह गलती से आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर पुरी जमीन का उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोल दिया, जबकि विक्रय केवल उक्त आराजी मे से 0.1100 हैक्टर जमीन ही विक्रय की थी, जो उक्त नामान्तकरण के जरिये आराजी नम्बर 591 रकबा 0.1100 हैक्टर जमीन ही अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी क्रेता अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान निवासी आमेट के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु सहवन से उक्त नामान्तरकरण के जरिये सम्पूर्ण आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर का खोल दिया, जबकि 0.2900 हैक्टर जमीन अपीलान्ट के पति के नाम यथावत् रहनी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त विक्रयशुदा आराजी मे से 0.2900 हैक्टर जमीन गलत रूपेण उक्त नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पूर्वाधिकारी अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान के नाम दर्ज कर दी गई एवं अली मोहम्मद जी की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम आराजी नम्बर 0.1100 हैक्टर भूमि ही दर्ज होनी चाहिए थी। अपीलान्ट के पति श्री रामा पिता गणेश जी कुमावत निवासी चतरपुरा की मृत्यु हो गई एवं उनकी एकमात्र उत्तराधिकारिनी एवं वारिसान अपीलान्ट है। जिनके द्वारा यह अपील पेश की जा रही है। मौके पर आराजी नम्बर 591 रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है। लेकिन खाते मे अपीलान्ट के दर्ज नही है। तहसीलदार आमेट ने विक्रय विलेख का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण खोल दिया जो पटवारी हल्का एवं तहसीलदार आमेट को इस प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार ही नही था। केवल मात्र विक्रय शुदा भूमि का ही नामान्तरकरण दर्ज करना था। जो नही किया है। अपीलान्ट की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने अपनी बता कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से अपने पति रामा पिता गणेश जी कुमावत के खाते की नकल मांगी। तो जानकारी हुई कि आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि पुरी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज हो गई, तो पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की नकल मांगी, तो पटवारी हल्का ने बताया की यह आराजी अपीलान्ट के पति का नाम दर्ज ही नही है व अपीलान्ट के पति का नाम दर्ज नही होने से अपीलान्ट के नाम विरासत से दर्ज नही हुई है। जिस पर अपीलान्ट ने आमेट के नामान्तरकरण संख्या 283 की नकल प्राप्त की, तो अपीलान्ट को पता चला कि उसके पति रामा पिता गणेश जी कुमावत ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1981 से ग्राम आमेट के आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि मे से 0.1100 हेक्टर भूमि ही विक्रय की एवं गलती से सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पिता के नाम दर्ज हो गया व उनकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

1 एवं 2 के नाम दर्ज हो गया एवं नामान्तरकरण मे त्रुटि होने से आराजी नम्बर 591 मे से रकबा 0.2900 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज नही हो पाई, जो नामान्तरकरण संख्या 283 की नकल दिनांक 07.05.2024 को प्राप्त हुई, जिस पर अपीलान्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। उक्त नामान्तकरण की सर्वप्रथम जानकारी ही दिनांक 06.05.2024 को हुई, उससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी, इसलिए जानकारी से अपील मयाद में पेश है एवं दिनांक 30.01.1983 से दिनांक 07.05.2024 तक का समय जानकारी नही होने से कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर अवधि मानते हुए सुनवाई किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आमेट के नामान्तरकरण संख्या 283 अपास्त कर तहसीलदार आमेट को निर्देश दिये जावे कि अपीलान्ट के पति श्री रामा पिता गणेश जी जाति कुमावत निवासी चतरपुरा ने दिनांक 01.05.1981 को जो विक्रय पत्र से ग्राम आमेट के आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड मे से 0.1100 हैक्टर भूमि विक्रय की है, उसी का नामान्तरकरण विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1981 के अनुसरण में नामान्तरकरण दर्ज करे व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज करे एवं उक्त आराजी का 0.2900 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह कर्णावट ने उपस्थित दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के पति श्री रामा पिता गणेश जी जाति कुमावत निवासी चतरपुरा तहसील आमेट जिला राजसमंद के खातेदारी में कस्बा आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड भूमि खातेदारी में दर्ज थी। जिन्होने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड मे से रकबा 0.1100 हैक्टयर भूमि श्री अली मोहम्मद पिता कजोड जी जाति मन्सुरी मुसलमान निवासी आमेट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1981 से विक्रय की एवं उक्त विक्रय शुदा आराजी मे से 0.1100 हैक्टयर भूमि का कब्जा श्री अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान को सिपूर्द कर दिया। उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 283 भरा, जिसे तहसीलदार आमेट द्वारा बाद जांच स्वीकार कर लिया, लेकिन अपीलान्ट के पति रामा जी पिता गणेश जी जाति कुमावत ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 01.05.1981 को कराया व केवल आराजी नम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

591 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बंझड मे से 0.1100 हैक्टर जमीन का ही कराया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पिता अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान ने भी 0.1100 हैक्टयर जमीन ही खरीदी, लेकिन नामान्तरकरण जो खोला गया। वह गलती से आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर पुरी जमीन का उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोल दिया, जबकि विक्रय केवल उक्त आराजी मे से 0.1100 हैक्टर जमीन ही विक्रय की थी, जो उक्त नामान्तकरण के जरिये आराजी नम्बर 591 रकबा 0.1100 हैक्टर जमीन ही अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी क्रेता अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान निवासी आमेट के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु सहवन से उक्त नामान्तरकरण के जरिये सम्पूर्ण आराजी नम्बर 591 रकबा 0.4000 हैक्टर का खोल दिया, जबकि 0.2900 हैक्टर जमीन अपीलान्ट के पति के नाम यथावत् रहनी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त विक्रयशुदा आराजी मे से 0.2900 हैक्टर जमीन गलत रूपेण उक्त नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पूर्वाधिकारी अली मोहम्मद पिता कजोड जी मुसलमान के नाम दर्ज कर दी गई एवं अली मोहम्मद जी की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 2 के नाम आराजी नम्बर 0.1100 हैक्टर भूमि ही दर्ज होनी चाहिए थी। तहसीलदार आमेट ने विक्रय विलेख का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण खोल दिया जो पटवारी हल्का एवं तहसीलदार आमेट को इस प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार ही नही था। केवल मात्र विक्रय शुदा भूमि का ही नामान्तरकरण दर्ज करना था। जो नही किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आमेट के नामान्तरकरण संख्या 283 अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद से बाधित है। अपील लगभग 43 वर्ष के बाद पेश की हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार आमेट द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार आमेट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 30.01.1983 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अध्ययन तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम आमेट में स्थित आराजी नंबर 591 जिसका रकबा 0.4000 हेक्टेयर था, यह भूमि अपीलांट के पति श्री रामा जी पिता श्री गणेश कुमावत के नाम दर्ज थी तथा उनके द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र 01.05.1981 के द्वारा इस भूमि में से 0.1100 हेक्टेयर भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 01 व 02 के पिता श्री अली मोहम्मद के नाम पर किया गया था।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

इस पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विवादित म्यूटेशन संख्या 283 दिनांक 30.01.1983 को दर्ज किया गया।

इस म्यूटेशन को दर्ज किए जाते समय श्री रामा पिता श्री गणेश कुमावत जो कि अपीलांट के पति हैं कि आराजी नंबर 591 की संपूर्ण भूमि 0.4000 हेक्टेयर को रेस्पोंडेंट के पिता श्री अली मोहम्मद के नाम तहसीलदार आमेट द्वारा गलती से दर्ज कर दिया गया। पंजीकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आराजी नंबर 591 के 0.4000 हेक्टेयर में से रेस्पोंडेंट के पिता के नाम मात्र 0.1100 हेक्टेयर भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी, परंतु तत्समय राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा संपूर्ण भूमि का म्यूटेशन गलती से दर्ज कर दिया गया।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता गण रेस्पोंडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा कुछ तकनीकी विधिक बिंदु उठाए गए तथा उनके द्वारा लिमिटेशन के आधार पर इसका विरोध किया गया, परंतु उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से 0.4000 हेक्टेयर में से 0.1100 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित होने के तथ्य का प्रतिवाद अथवा कोई अन्यथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि जो म्यूटेशन खोला गया है जिसकी अपील की गई है वह खोले जाते समय राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से गलती हुई है तो उस गलती को सुधारा जाना केवल राजस्व अधिकारियों का दायित्व ही नहीं कर्तव्य भी है अपितु यहॉ यह भी आवश्यक है कि पिछली गलती को सुधार लिया जाए तथा राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाए। अतः अपील स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 30.01.1983 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार आमेट को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं। कि दिनांक 01.05.1981 को जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित हुआ। उसके अनुसार प्रविष्ठि राजस्व रेकार्ड में किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)